



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 69 राँची, शुक्रवार, 1 फाल्गुन, 1947 (श०)
20 फरवरी, 2026 (ई०)

वित्त विभाग।

अधिसूचना
4 अक्टूबर, 2024

संख्या - 2302/वि०-2302--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्वारा वित्त विभाग के अधीन **झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा** में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली “**झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली - 2024**” कहलाएगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
- (ii) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
- (iii) 'विभाग' से अभिप्रेत है वित्त विभाग;
- (iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
- (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा के तहत लेखा संवर्ग;
- (vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' एवं 'नियंत्रिप्राधिकार' से अभिप्रेत है वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव;
- (vii) 'वरीयता सूची' से अभिप्रेत है लेखा संवर्ग के कर्मियों की वरीयता सूची, जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।

3. सेवा का स्वरूप

- (1) इस संवर्ग के अधीन मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।
- (2) इस संवर्ग के कर्मियों का पदस्थापन वित्त विभाग के निदेशालयों अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जायेगा।
- (3) इस संवर्ग के कर्मी वित्त विभाग के निदेशालयों अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा/लिपिकीय कार्य करेंगे।

4. संवर्गीय संरचना एवं बल

- (1) लेखा संवर्ग में निम्नकोटि के पद होंगे:-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	सेवासमूह	संख्याबल	अभ्युक्ति
i.	लेखा सहायक	लेवल-2	समूह 'ग'	384	मूलकोटि का पद (सीधी नियुक्ति)
ii.	वरीय लेखा सहायक	लेवल-4	समूह 'ग'	217	प्रोन्नति का पद
iii.	लेखा अधीक्षक	लेवल-6	समूह 'ख'	70	प्रोन्नति का पद

- (2) इस संवर्ग के सभी पद अराजपत्रित श्रेणी के होंगे।

अध्याय - 2**भर्ती / नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति**

5. सीधीनियुक्तिकीप्रक्रिया:- इस संवर्ग के मूलकोटि के पद पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

6. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता /अर्हताएँ:-

(i) शैक्षणिक योग्यता :- केंद्र सरकार / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विद्यालय से विज्ञान अथवा वाणिज्य में इंटरमीडिएट / 10+2 (I.Sc. / I.Com.) उत्तीर्ण।

(ii) उम्र :- न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। उम्र सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि अध्याचना वर्ष की 1^{ली} अगस्त मानी जायेगी।

(iii) न्यूनतम अर्हतांक :- सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम अर्हतांक वही होंगे, जो इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हैं अथवा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

7. रिक्तियों का नियती करण:-

वित्त विभाग द्वारा पदों की रिक्तियों को भरने के संबंध में विभाग / विभागाध्यक्ष संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करते हुए सरकार की आरक्षण नीति के तहत अध्याचना आयोग को भेजेंगे। अध्याचना भेजने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प / परिपत्र / आदेश का अनुपालन किया जायेगा।

8.(i) मूलकोटि के पद पर नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस सेवा के मूलकोटि के पद पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्ति की जाएगी। मूलकोटि के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित “ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकक अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017”(समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप की जाएगी। परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम वही होगा, जो उक्त नियमावली में निर्धारित है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों एवं परीक्षा के पाठ्यक्रम में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन स्वतः प्रभावी माने जाएंगे।

(ii) मूलकोटि का पद 'लेखा सहायक ' को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित

“ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट / 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकक अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली, 2017”(समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-7 के अंतर्गत अनुसूची-1 पर संलग्न पदों की सूची में शामिल समझा जायेगा।

(iii) मूलकोटि का पद 'लेखा सहायक ' पर नियुक्ति हेतु वांछित कौशल परीक्षण -कम्प्यूटर में हिन्दी टाइपिंग अनिवार्य होगी। न्यूनतम टाइपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट एवं अधिकतम अशुद्धि 2 प्रतिशत मान्य होगा।

9. रिक्तियों में आरक्षण:-सीधी भर्ती / प्रोन्नति में सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

10. कर्मियों की प्रतिनियुक्ति -

(1) इस संवर्ग के कर्मियों की प्रति नियुक्ति मांग एवं उपलब्धता के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार के किसी विभाग में विभागीय सहमति (विभागीय सचिव स्तर से) के उपरांत की जा सकेगी।

(2) इस संवर्ग के कर्मियों को राज्य सरकार के सेवार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा:-

i. राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनीया निकाय में चाहे वे निगमित हों अथवा नहीं यथा-स्थानीय निकाय, बोर्ड, सहकारी समिति, शैक्षणिक संस्थान आदि में विभागीय सहमति के उपरांत प्रति नियुक्ति की जा सकेगी।

ii. केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः नियंत्रण वाले किसी कार्यालय में, उनकी मांग के अनुरूप एवं किसी संवर्गीय कर्मी को उनकी सहमति से केंद्र सरकार के किसी विभाग, कार्यालय में तथा उपर्युक्त मद संख्या (i) में उल्लिखित किसी संगठन या निकाय में विभागीय सहमति के उपरांत प्रति नियुक्त किया जा सकेगा।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त उपनियम i एवं ii के अधीन किसी संवर्गीय कर्मी को किसी ऐसे पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसके वेतनमान का अधिकतम उस कर्मी द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतनमान से कम हो, जो वह अपने संवर्ग के धारित पद पर प्राप्त करता हो।

अध्याय - 3

सामंजन

11. (क) पूर्व से कार्यरत राज्य के कोषागारों तथा राष्ट्रीय बचत सेवा/संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों को उनके धारित पद एवं धारित पद के वेतनमान के आधार पर एक बारीय सुविधा के तहत झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा में सामंजित किया जायेगा। इस तरह के सामंजन को सीधी नियुक्ति नहीं समझी जायेगी।

उदाहरण :-(1) पूर्व से कार्यरत राष्ट्रीय बचत सेवा के राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी (अराजपत्रित वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP-4600, Level-7) को लेखा संवर्ग में 'लेखाअधीक्षक' के पद पर अपने ही वेतनमान में सामंजित किया जायेगा।

(2) पूर्व से कार्यरत राष्ट्रीय बचत सेवा के सहायक बचत पदाधिकारी (अराजपत्रित वेतनमान PB-II, 9300-34800, GP-4200, Level-6) को लेखा संवर्ग में 'लेखाअधीक्षक' के पद पर अपने ही वेतनमान में सामंजित किया जायेगा।

(3) पूर्व से कार्यरत राष्ट्रीय बचत सेवा के लिपिक-सह-टंकक / उच्च वर्गीय लिपिक (अराजपत्रित, वेतनमान PB-I, 5200-20200, GP-2400, Level-4) को लेखा संवर्ग में 'वरीय लेखा सहायक' के पद पर अपने ही वेतनमान में सामंजित किया जायेगा।

(4) भविष्य निधि निदेशालय / जिला भविष्य निधि कार्यालय / राज्य कोषागारों में पूर्व से पदस्थापित लिपिक / कोषागार लिपिक, जिनका मूल पद का वेतनमान 5000-8000 (पंचम पुनरीक्षित) स्वीकृत किया गया है तथा वर्तमान में ग्रेड पे-4200, ग्रेड पे-4600, ग्रेड पे-4800 अथवा ग्रेड पे-5400 में कार्यरत हैं, उन्हें 'लेखा अधीक्षक' के पद पर अपने ही वेतनमान में सामंजित किया जायेगा।

(5) भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय में पूर्व से उच्चवर्गीय लिपिक(अराजपत्रित, वेतनमान PB-I, 5200-20200, GP-2400, Level-4) के पद पर कार्यरत कर्मियों को अपने ही वेतनमान में 'वरीय लेखा सहायक' के पद पर सामंजित किया जायेगा।

(6) भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय में पूर्व से निम्नवर्गीय लिपिक (अराजपत्रित, वेतनमान PB-I, 5200-20200, GP-1900, Level-2) के पद पर कार्यरत कर्मियों को अपने ही वेतनमान में 'लेखा सहायक' के पद पर सामंजित किया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त सामंजन के फलस्वरूप वेतन वृद्धि के साथ कोई वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत सेवा / संवर्ग के वैसे कर्मी / पदाधिकारी, जो झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2007 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति की अर्हतापूर्ण करते हैं, परन्तु प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है, उन्हें झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2007 (यथा संशोधित) के आलोक में प्रोन्नति प्रदान करने के उपरांत उपर्युक्त नियम 11(क) के आलोक में सामंजन की कार्रवाई की जायेगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर यह कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। एक वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत यह प्रावधान स्थायी रूप से समाप्त समझा जायेगा।

(घ) उपर्युक्त नियम 11(ग) के तहत कार्रवाई हेतु संबंधित कर्मी / पदाधिकारी से यह विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वे नियम 11(ग) से आच्छादित होना चाहते हैं अथवा नहीं। वैसे कर्मी / पदाधिकारी, जो नियम 11(ग) से आच्छादित नहीं होने का विकल्प चयन करेंगे, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसा विकल्प चयन की समय-सीमा नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि से तीन माह तक होगी। विकल्प चयन संबंधी आवेदन नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। यदि इस समय-सीमा के भीतर विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि वे नियम 11(ग) से आच्छादित नहीं होना चाहते हैं तथा उन्हें नियम 11(क) के आलोक में सामंजित किया जाएगा। एक बार चयनित विकल्प अंतिम होगा।

अध्याय - 4

प्रशिक्षण एवं सम्पुष्टि

12. (क) प्रारम्भिक प्रशिक्षण :- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात लेखा संवर्ग के मूलकोटि के पद पर परीक्ष्यमान रूप से कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की

होगी। परीक्ष्यमान अवधि में प्रशिक्षण निम्नवत दिया जायेगा :-

क्र०सं०	प्रशिक्षण	प्रशिक्षणअवधि	प्रशिक्षणस्थान
1.	संस्थागत प्रशिक्षण	03 माह	अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान / विभाग द्वारा चयनित संस्थान
2.	व्यावहारिक प्रशिक्षण	06 माह	प्रमण्डलीय अंकेक्षण कार्यालय, जिला कोषागार एवं जिला पेंशन एवं लेखा कार्यालय

3.	अंतिम प्रशिक्षण	01 माह	अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान / विभाग द्वारा चयनित संस्थान।
----	-----------------	--------	--

संस्थागत प्रशिक्षण / व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्गत ही कम्प्यूटर ज्ञान एवं वित्त विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी Software Application / Modules का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात परीक्ष्यमान कर्मियों को झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा के मूलकोटि के पद पर पदस्थापित किया जायेगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं विस्तृत कार्यक्रम अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान / विभाग द्वारा चयनित संस्थान द्वारा विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

(ख) सेवा कालीन प्रशिक्षण: -लेखा संवर्ग के कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रोन्नति के पश्चात सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही विभागीय आवश्यकतानुसार सेवा काल के दौरान भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण का विस्तृत पाठ्यक्रम, अवधि एवं विस्तृत कार्यक्रम अंकेक्षण-सह-लेखा प्रशिक्षण संस्थान / विभाग द्वारा चयनित संस्थान द्वारा विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

13. सेवा सम्पुष्टि :- सेवा सम्पुष्टि के लिये दो वर्षों की परीक्ष्यमान अवधि संतोष जनक रूप से पूर्ण करना, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा परीक्ष्यमान अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त इस संवर्ग के कर्मियों को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित कम्प्यूटर ज्ञान एवं टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा (अनुसूची-1) में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही सेवा संपुष्टि की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में किसी तरह का दण्ड अधिरोपित होने की स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि बढ़ायी जा सकेगी, जो अधिकतम दो वर्ष तक होगी। सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात् अधिकतम दो वेतन वृद्धि तक दी जायेगी तथा अगली वेतन वृद्धियाँ नियमित रूप से सेवा संपुष्टि के उपरान्त यथा नियम अनुमान्य होगी। परन्तु, परीक्ष्यमान लेखा सहायक (मूल कोटि) द्वारा सेवा संपुष्टि के सभी वांछित अर्हताओं को पूर्ण करने के बावजूद, सेवा संपुष्टि में विलंब होने की स्थिति में उसकी वेतन वृद्धियाँ अवरुद्ध नहीं होंगी।

अध्याय-5

वरीयता एवं प्रोन्नति

14. वरीयता: -

(1) इस संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग से प्राप्त अनुशंसा के मेधा क्रम से होगा।

(2) दो या अधिक अन्यसेवा/संवर्ग से इस संवर्ग के मूलकोटि के पद पर सामंजित कर्मियों की पारस्परिक वरीयता पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग में उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर होगी, अर्थात् पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग में जिनकी नियुक्ति पहले हुई है, वे बाद में नियुक्त होने वाले कर्मियों से वरीय होंगे। एक ही पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग से सामंजित कर्मियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जो वरीयता उनकी पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग में थी।

(3) उच्चतर पद पर सामंजित कर्मियों निम्नतर पद पर सामंजित कर्मियों से वरीय होंगे।

(4) यदि मूलकोटि से उच्चतर पद पर दो या अधिक पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग से सामंजन होता है, तो वह कर्मी वरीय होगा, जिसकी पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग के मूलकोटि का पद का वेतनमान उच्चतर था। एक ही पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग से इस सेवा के मूलकोटि के पद से उच्चतर पद पर सामंजन होने की स्थिति में पारस्परिक वरीयता वही होगी, जो पूर्ववर्ती सेवा/संवर्ग में थी।

15. (1) प्रोन्नति: -लेखा संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रोन्नति समिति का गठन किया जायेगा। प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात्संवर्गीय पद पर प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति का आधार कालावधि, वरीयता-सह-योग्यता होगी तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लागू प्रोन्नति में आरक्षण यथा रूप प्रभावी होगा।

(2) प्रोन्नति की कालावधि -प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित संकल्प/अनुदेश/परिपत्र के अनुरूप होगा।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप -प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत्होगा: -

- (i) वित्त विभाग के अधीन पदस्थापित वरीयतम अपर सचिव/संयुक्त सचिव – अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं लेखा निदेशालय – सदस्य सचिव
- (iii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से मनोनीत अ०ज०जा०/अ०ज० के पदाधिकारी, जो उप सचिव से अन्यून हो – सदस्य
- (iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, जो उप सचिव सेअ न्यून हो – सदस्य
- (v) मुख्यालय के प्रतिनिधि, जो उप सचिव से अन्यून हो – सदस्य

16. अध्याय-6

विविध

16. स्थानान्तरण / पदस्थापन: - इस संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन नियंत्री प्राधिकार के द्वारा सरकार के अनुदेश के आलोक में किया जाएगा। संवर्ग के कर्मियों के एक स्थानान्तरण / पदस्थापन का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होगा। सामान्यतः तीन वर्ष से कम अवधि में किसी कर्मी को किसी पदस्थापन से स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि वित्त विभाग को यह समाधान नहीं हो जाय कि उनको इस पदस्थापन पर बनाये रखना राज्य हित में न हो एवं संवर्गीय प्रोन्नति नहीं मिली हो।

17. अनुशासनिक कार्रवाई: -अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

18. विनियम: -वित्त विभाग इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए एवं ऐसी सभी बातों का उपबन्ध करने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियम बना सकेगा।

19. अवशिष्ट मामले: -ऐसे मामलों के बारे में जो विनिर्दिष्टतः इन नियमों या विनियमों अथवा एतदधीन बनाये गये या निर्गत किये गये आदेशों या विशेष आदेशों में नहीं आते हैं, ऐसी परिस्थिति में सेवा के सदस्य राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू सामान्य नियमों, विनियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगे।

20. प्रकीर्ण

(1) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

21. शिथिल करने की शक्ति: - जहाँ राज्य सरकार के वित्त विभाग की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, तो उन कारणों को अभिलिखित करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने के संबंध में राज्य सरकार अंतिमनिर्णय लेगी।

22. निर्वचन: - जहाँ इन नियमों या एतदधीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वित्त विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

24. निरसन और व्यावृत्ति

(1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव।

अनुसूची-1

(नियम 13 देखें)

झारखण्ड वित्त अवर लेखा सेवा के मूल कोटि के कर्मियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा :-

1. हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा - आयोजन कार्मिक विभाग द्वारा। पाठ्यक्रम अराजपत्रित श्रेणी के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार।

2. कम्प्यूटर साक्षरता परीक्षा - एम०एस०ऑफिस और इंटरनेट की जानकारी की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परीक्षा।

कम्प्यूटर टंकण - हिन्दी टंकण - 25 शब्द प्रति मिनट

अंग्रेजी टंकण – 30 शब्द प्रति मिनट

अशुद्धि – अधिकतम 2 प्रतिशत

3.लेखा–विभागीय परीक्षा – राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित।

प्रथमपत्र

(क) भारत सरकार अंकेक्षण और लेखा-परिचय (Introduction to the Indian government audit and accounts.) अध्याय 2(क), 6,7,8,10,11,12 और 16।

(ख) लेखा-संहिता, खण्ड 1 – केवल छठा अध्याय।

(ग) झारखण्ड कोषागार संहिता।

(घ) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली – अध्याय 1-17 और 26।

(ङ) बजट हस्तक – अध्याय 1, 2, 3 और 4।

द्वितीयपत्र

(I) झारखण्ड सेवा संहिता – अध्याय 8 को छोड़कर सभी अध्याय और परिशिष्ट 6, 9, 12 और 13 को छोड़कर सभी परिशिष्ट ।

(II) झारखण्ड यात्रा-भत्ता नियमावली।

(III) उदार पेंशन नियमावली सहित झारखण्ड पेंशन नियमावली ।

(IV) झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली ।

(V) झारखण्ड वित्त नियमावली, खण्ड 1 और 2 (केवल परिशिष्ट 1 से 9 तक)।
